रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 165] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 27, 2017/वैशाख 7, 1939
No. 165] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 27, 2017/VAISAKHA 7, 1939

हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, उत्तराखंड

(केंद्रीय विश्वविद्यालय)

अधिसूचना

श्रीनगर (गढ़वाल), 30 मार्च, 2017

सं. एच.एन.बी.जी.यू./आर.ओ./2017 (1) एवं (2).—निम्नलिखित को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.—

अध्यादेश 5

(कार्यकारिणी परिषद के प्रथम बैठक दिनांक: 24 अक्तूबर,2009 द्वारा अनुमोदित)

योजना और विकास बोर्ड

के गठन एवं कार्य करने हेतु

(केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 के धारा 28 के अंतर्गत)

1. परिसर और विश्वविद्यालय की अन्य संपत्तियों के बुनियादी ढांचे के नियोजन और विकास के लिए एक योजना और विकास बोर्ड होगा,

2. (क) योजना और विकास बोर्ड का संयोजन निम्नानुसार होगा: -

(i) कुलपति (अध्यक्ष)

(ii) प्रति- कुलपति

(iii) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा किसी विनिर्दिष्ट अवधि हेतु नामित एक व्यक्ति;

(iv) कार्यकारी परिषद द्वारा नामित एक व्यक्ति,

(v) कुलपति द्वारा भवन समिति के सदस्यों में से नामित एक बाहरी विशेषज्ञ;

(vi) सभी स्कूलों के डीन और विश्वविद्यालय परिसर के निदेशक;

(vii) कुलसचिव, वित्त अधिकारी और विश्वविद्यालय अभियंता। कुलसचिव बोर्ड के सचिव के रूप में कार्य करेगा।

(ख) योजना और विकास बोर्ड के सभी सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष के लिए होगा। बोर्ड के 15 (पंद्रह) सदस्य गणपूर्ति (कोरम) पूरी करेंगे।

(ग) योजना और विकास बोर्ड के सभी सदस्यों के नामांकन और सदस्यता में सभी प्रकार के परिवर्तन कार्यकारी परिषद को सूचित किए जाएंगे।

(घ) योजना और विकास बोर्ड की बैठक वर्ष में, सामान्यतः दो बार, अथवा यदि आवश्यक तो इससे पूर्व आयोजित की जाएगी और कुलपति के निर्देशों के अनुसार, सचिव द्वारा संयोजित की जाएगी, जो बैठक की कार्रवाई को कलमबद्ध करेगा, इसका रिकॉर्ड रखेगा एवं इससे संबंधित पत्राचार करेगा, बोर्ड में कार्यरत कर्मचारियों के कार्यों का प्रशासनिक पर्यवेक्षण करेगा और कार्यकारी परिषद को बोर्ड के कार्यों एवं निर्णयों की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

3. योजना और विकास बोर्ड के कार्य निम्नानुसार होंगे-

(i) विश्वविद्यालय की परिप्रेक्ष्य अधियोजना तैयार करना, इसे संशोधित करना, इसकी समीक्षा करना तथा परामर्श देना।

(ii) विश्वविद्यालय चार्टर, मिशन स्टेटमेंट एवं विजन योजना तैयार करने और इन्हें संशोधित करने के संबंध में कुलपति को सलाह देना;

(iii) अनुदान और गैर-योजनागत संसाधनों का उचित उपयोग करने के उद्देश्य से संबंधित प्राधिकारियों और निकायों को विश्वविद्यालय के प्रशासनिक बुनियादी ढांचे को सुधारने और सुदृढ़ करने के उपायों की अनुशंसा करना।

(iv) पंचवर्षीय और वार्षिक योजनाओं के अंतर्गत विश्वविद्यालय हेतु विकास अनुदान के प्रस्ताव तैयार करना, ऐसे अनुदानों की आवश्यकताओं की मात्रा तय करना और संबंधित वित्तपोषण एजेंसियों द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन, ऐसे अनुदानों को आबंटित या पुन: आबंटित करना।

(v) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अन्य वित्तपोषण एजेंसियों की विशिष्ट योजना के अंतर्गत गैर-योजनागत कार्यक्रमों/योजनाओं हेतु विश्वविद्यालयों के विभागों तथा अन्य इकाइयों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रस्तावों और विकास परियोजनाओं का समन्वय करना और ऐसे कार्यक्रमों/योजनाओं हेतु वित्त पोषण एजेंसियों को दी जाने वाली प्रस्तुतियों को तैयार करने के संबंध में पर्यवेक्षण करना।

(vi) विश्वविद्यालय के भौतिक विस्तार और विश्वविद्यालय की संपत्ति के विकास के लिए जमीन और अचल संपत्ति के अधिग्रहण के संबंध में अनुशंसा करना;

(vii) विश्वविद्यालय की भूमि और अचल संपत्तियों के रिकॉर्ड के संकलन और इनमें संशोधन तथा उनके रक्षण, संरक्षण और उचित उपयोग के संबंध में संबंधित प्राधिकारियों, निकायों, अधिकारियों और पदाधिकारियों को सलाह देना;

(viii) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने के संबंध में पर्यवेक्षण करना;

(ix) कार्यकारी परिषद, शैक्षिक परिषद या कुलपति द्वारा निर्दिष्ट किसी शैक्षणिक और अवसंरचनात्मक योजना तथा विकास से संबंधित मामले पर सलाह देना; तथा

(x) ऐसे अन्य कार्य करना, जो अध्यादेशों, या कार्यकारी परिषद, शैक्षणिक परिषद अथवा कुलपति द्वारा सौंपा गए हों।

अध्यादेश 14

(कार्यकारिणी परिषद के द्वितीय बैठक दिनांक: 15 मई, 2010 द्वारा अनुमोदित)

विभागीय समिति

(केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 के धारा 28 के अंतर्गत)

1. विभागीय समिति में विभाग के प्रमुख, पदेन अध्यक्ष होंगे और विभाग के पांच प्रोफेसर, तीन एसोसिएट प्रोफेसर तथा दो सहायक प्रोफेसर दो वर्ष की अवधि हेतु वरिष्ठता के क्रमानुसार रोटेशन के आधार पर होंगे:

बशर्ते कि-

(i) जब तक कि विभाग में कोई प्रोफेसर नहीं होगा, तब तक विभागीय समिति में वरिष्ठता के क्रम में रोटेशन के आधार पर दो अतिरिक्त एसोसिएट प्रोफेसर सदस्य (अतिरिक्त) होंगे, जो दो वर्ष की सदस्यता के अधीन होंगे तथा जैसे ही विभाग में प्रोफेसर कार्यरत होते हैं, इस समिति से उनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी;

(ii) जब तक कि विभाग में कोई एसोसिएट प्रोफेसर नहीं होगा, तब तक विभागीय समिति में वरिष्ठता के क्रम में रोटेशन के आधार पर दो अतिरिक्त सहायक प्रोफेसर सदस्य (अतिरिक्त) होंगे, जो दो वर्ष की सदस्यता के अधीन होंगे तथा जैसे ही विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर कार्यरत होते हैं, इस समिति से उनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी;

(iii) जब तक कि विभाग में कोई प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर नहीं होगा, तब तक विभागीय समिति में वरिष्ठता के क्रम में रोटेशन के आधार पर तीन अतिरिक्त सहायक प्रोफेसर सदस्य (अतिरिक्त) होंगे, जो दो वर्ष की सदस्यता के अधीन होंगे तथा जैसे ही विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर कार्यरत होते हैं, इस समिति से उनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी;

परन्तु जब किसी विभाग को दो या अधिक विषय सौंपे गए हो और ऐसे विषय से संबंधित, जिसका प्रतिनिधित्व अध्यक्ष और अन्य सदस्यों (विभागीय समिति के अतिरिक्त सदस्यों सहित) द्वारा नहीं किया जाता है, विभाग के विषय-विशेष से संबंधित वरिष्ठ-शिक्षक को संबंधित मामले के लिए किसी विशिष्ट बैठक में विशेष रूप से आमंत्रित किया जाएगा।

2. विभागीय समिति के निम्नलिखित कार्य होंगे :–

(i) विभाग के शिक्षकों द्वारा किए जा रहे शिक्षण और सहपाठ्यचारी क्रियाकलापों के संचालन और उनके उचित क्रियान्वयन का पर्यवेक्षण करना;

(ii) विभाग के संगठन, पदोन्नति एवं समन्वयन हेतु और शोध कार्यों और अन्य शैक्षणिक एवं सहपाठ्यचारी क्रियाकलापों के पर्यवेक्षण हेतु उपाय सुझाना:

परंतु, अनुसंधान डिग्री कार्यक्रमों के संबंध में विभागीय समिति के कार्य अध्यादेश के प्रावधानों और ऐसे कार्यक्रमों को नियंत्रित करने वाले विनियमों के अधीन होंगे;

(iii) विभाग के कार्यों के उचित निर्वहन हेतु विभाग के शिक्षकों की ऐसी उप-समितियों या ऐसी समितियां गठित करना, जो अपेक्षित या उपयुक्त हो;

(iv) विभाग में विभिन्न कार्यों के लिए अनुबंध के आधार पर व्यक्तियों की नियुक्ति करने हेतु, इस संबंध में कार्यकारी परिषद या वित्त समिति द्वारा निर्धारित नियमों और मानदंडों के अधीन, सक्षम अधिकारियों या प्राधिकारियों को अनुशंसा करना।

(v) विभाग की जगह, उपकरणों और अन्य परिसंपत्तियों के उपयोग पर विचार करना एवं निर्णय लेना तथा विभाग के सामान्य एवं शैक्षिक हित के अन्य मामलों पर विचार करना; तथा

(vi) ऐसे अन्य कार्य करना, जो अध्यादेशों या विनियमों के अंतर्गत विनिर्दिष्ट किए गए हो अथवा कुलपति, डीन या स्कूल के बोर्ड द्वारा समय-समय पर सौंपे गए हों।

3. विभागीय समिति की बैठकों को विभाग प्रमुख द्वारा हर दो माह (छुट्टियों की अवधि को छोड़कर) में कम से कम एक बार अवश्य बुलाया जाएगा तथा विभाग प्रमुख द्वारा बैठकों के कार्यवृत्त तैयार करवाए जाएंगे और बैठको में लिए गए निर्णयों पर कार्रवाई की जाएगी।

4. विभागीय समिति की कार्रवाई से कुलपति और स्कूल डीन को सूचित किया जाएगा।

ए. के. झा, कुलसचिव

[विज्ञापन III/4/असा./08/17]

HEMVATI NANDAN BAHUGUNA GARHWAL UNIVERSITY, UTTARAKHAND

(A CENTRAL UNIVERSITY**)**

NOTIFICATION

Srinagar (Garhwal) the 30th March, 2017

No. HNBGU/RO/2017-(1) or (2).—The following is published for gereral information:—

ORDINANCE : 5

(Approved by the Executive Council in its 1st Meeting dated 24 October 2009)

For constitution and functioning of

THE PLANNING AND DEVELOPMENT BOARD

(under Section 28 of CU Act 2009)

1. There shall be a Planning and Development Board for the planning and development of the infrastructure in the Campus and other properties of the University,

2. (a) The Planning and Development Board shall consist of the following members, namely—

(i) the Vice-Chancellor, (Chairperson)

(ii) the Pro- Vice-Chancellor

(iii) one person nominated by the University Grants Commission for such term as it may specify;

(iv) one person nominated by the Executive Council,

(v) one of the external expert members of the Building Committee nominated by the Vice-Chancellor;

(vi) the Deans of the all Schools and Directors of the University Campus;

(vii) The Registrar, the Finance Officer and the University Engineer. The Registrar shall act as the Secretary of the Board.

(b) All the members of the Planning and Development Board shall hold office as such for a term of two years. The 15 (Fifteen) members of the Board shall form a Quorum.

(c) All nominations of members and all changes in the membership of the Planning and Development Board shall be reported to the Executive Council.

(d) The meeting of the Planning and Development Board shall ordinarily be held at twice a year, or sooner if so required, and shall be convened, under the instructions of the Vice-Chancellor, by the Secretary, who shall also record and maintain the proceedings and conduct the correspondence thereof, exercise administrative supervision over the staff assigned to the Board and submit reports on its work and decisions to the Executive Council.

3. The functions of the Planning and Development Board shall be as follows-

(i) to prepare and revise the perspective plan of the University and review and give advice on the perspective plans.

(ii) to advice the Vice-Chancellor in respect of the preparation and revision of the Charter, the Mission Statement and the Vision Plan of the University;

(iii) to recommend to the relevant authorities and bodies, measures for improving and strengthening the administrative infra-structure of the University, in order to facilitate the proper application and utilization of Plan grants and Non-Plan resources.

(iv) to prepare proposals for developmental grants under Five-year and Annual Plans for the University, quantify the requirements for such grants and, subject to the conditions laid down by the funding agency concerned, allocate or re-allocate such grants, Consistent with terms and conditions of funding agencies.

(v) to co-ordinate the proposals and developmental projects to be submitted by the Departments and other units of the University, under special Plan of Non-Plan Programmes/Schemes of the University Grants Commission and other funding agencies, and supervise the preparation of any presentation to be made to the funding agencies in respect of any such special Programmes/Schemes;

(vi) to make recommendations in respect of the acquisition of land and real estate for the physical expansion of the University, and of the development of the property of the University;

(vii) to advise the relevant authorities, bodies, officers and functionaries in respect of the compilation and revision of the record of the land and real estate properties of the University and the protection, preservation and appropriate utilization thereof;

(viii) to supervise the preparation of the Annual Report of the University;

(ix) to offer advice on any matter relating to academic and infrastructural planning and development, referred to it by the Executive Council, the Academic Council or the Vice-Chancellor; and

(x) to perform such other functions as may be assigned to it by the Ordinances, or by the Executive Council, the Academic Council or the Vice-Chancellor.

ORDINANCE : 14

(Approved by the Executive Council in its 2nd Meeting dated 15 May, 2010)

For

THE DEPARTMENTAL COMMITTEE

(under Section 28 of CU Act 2009)

1. The Departmental Committee shall consist of the Head of the Department, as Chairperson *ex officio*, and five Professors, three Associate Professors and two Assistant Professors of the Department, by the rotation in the order of seniority for a period of two years:

Provided that-

(i) as long as there is no Professor in the Department, the Departmental Committee shall have two more Associate Professors as (additional) members by rotation in the order of seniority, who shall, subject to a period of membership of two years, relinquish office as soon as a Professor joins the Department;

(ii) as long as there is no Associate Professor in the Department, the Departmental Committee shall have two more Assistant Professors as (additional) members by rotation in the order of seniority, who shall, subject to a period of membership of two years, relinquish office as soon as a Associate Professor joins the Department;

(ii) as long as there is no Professor and no Associate Professor in the Department, the Departmental Committee shall have three more Assistant Professors as (additional) members by rotation in the

order of seniority, who shall, subject to a period of membership of two years, relinquish office as soon as a Associate Professors joins the Department;

Provided where two or more subjects are assigned to a Department, for any matter specifically concerning any subject that is not represented by the Chairperson and the other members (including additional members) of the Departmental Committee, the senior-most teacher of the

Department in such subject shall be specially invited for the matter to the meeting concerned.

2. The Departmental Committee shall have the following functions, namely-

(i) operation of the teaching and co-curricular work of the Department among the teachers thereof and monitor the proper execution thereof;

(ii) to take measures for the organization, promotion, co-ordination and monitoring of research work and other academic and extra-curricular activities in the Department:

Provided that the functions of the Departmental Committee in respect of research degree programmes shall be subject to the provisions of the Ordinance and Regulations governing such programmes;

(iii) to appoint such sub-committees, or such committees of the teachers of the Department, as may be necessary or expedient for the proper discharge of the work of the Department;

(iv) subject to the rules and norms laid down by the Executive Council or the Finance Committee in this regard, to make recommendations to the officer or authority empowered by such rules, in respect of the engagement of persons on contractual basis for various duties in the Department;

(v) to consider and decide on the assignment and utilization of the space, equipment and other assets of the Department and other matters of general and academic interest to the Department; and

(vi) to perform such other functions as may be assigned by the Ordinances or Regulations or, from time to time, by the Vice-Chancellor or the Dean or the Board of the School.

3. Meetings of the Departmental Committee shall be convened at least once every two months (except for the periods of vacations) by the Head of the Department, who shall also maintain the proceedings and give effect to the decisions thereof.

4. The proceedings of the Departmental Committee shall be reported to the Vice-Chancellor and the Dean of the School.

A. K. JHA, Registrar

[ADVT.- III/4/Exty./08/17]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2017.04.29 15:20:45 +05'30'